कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

ई-मेल :dmawaslko@gmail.com

कार्यालय दूरभाष सं0 : 0522-2623912, 0522-2614700 फैक्स सं0: 0522-2230099

पत्रांक : 611/एसटी/२०२०

आदेश

दिनांक : 28/07/२०२०

वर्तमान में कोविड–19 धनात्मक व्यक्तियों को चिकित्सीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत एल–1, एल–2, एल–3 कोविड अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। उपचार के दौरान या अन्य कारणों से यदि किसी कोविड–19 धनात्मक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शासनादेश एवं कोविड–19 प्रोटोकॉल के अनुसार मृत शरीर का अन्तिम संस्कार नियमानुसार तत्काल किया जाना आवश्यक है। अतएव महामारी अधिनियम–1897 (अधिनियम सं0–3 सन् 1897) की धारा–2 एवं इस विनियमावली के प्रस्तर–12 (बारह) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी, लखनऊ, श्री अमरपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ (मो0–9415005002) को नोडल अधिकारी नामित करता हूँ। मृत शरीर का अन्तिम संस्कार के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ द्वारा प्रतिदिन प्रातः 07:00 बजे, अपरान्ह 02:00 बजे तथा रात्रि 11:00 बजे तक की अद्यतन स्थिति से आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ, अधोहस्ताक्षरी एवं मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ/नोडल अधिकारी, एकीकृत कोविड कमाण्ड एवं कंट्रोल सेन्टर, लखनऊ को अवगत कराया जायेगा। जैसे ही किसी कोविड–19 धनात्मक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो तत्काल कोविड–19 मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुरूप एवं जिस कोविड अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु होती है तो तत्काल उनके परिजनों से सम्पर्क स्थापित कर कोविड–19 के मेडिकल प्रोटोकॉल के अंतर्गत अन्तिम संस्कार सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी अथवा अस्पताल द्वारा उक्त कार्य हेतु अपेक्षित कार्यवाही/सहयोग नहीं किया जाता है अथवा गलत एवं भ्रामक सूचना प्रदान की जाती है तो अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ द्वारा उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाये।

इस पूरी प्रक्रिया हेतु निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक एल–2 एवं एल–3 कोविड–19 अस्पताल हेतु एक–एक लेखपाल की तैनाती (2 पालियों में) 24 घण्टे सहायता हेतु तत्काल करना सुनिश्चित करें। साथ ही लेखपाल का नाम व मोबाइल नम्बर आदि की जानकारी नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं एकीकृत कोविड कमाण्ड एवं कंट्रोल सेन्टर, लखनऊ एवं सम्बन्धित कोविड अस्पताल के प्रबन्धन/नोडल व्यक्ति को भी उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ का यह भी दायित्व होगा कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से मीडिया में भी सही जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी, लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक–तदैव।

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1–अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2–अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3–अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
4–आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
5–पुलिस आयुक्त, लखनऊ (नगर), लखनऊ।
6–मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ/नोडल अधिकारी, एकीकृत कोविड कमाण्ड एवं कंट्रोल सेन्टर, लखनऊ।
7– नगर आयुक्त, लखनऊ।
8– पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), लखनऊ।
9– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
10–निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
11–कुलपति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
12–निदेशक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
13–निदेशक, लोकबंधु राजनारायन संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
14–निदेशक, एरा मेडिकल कालेज, लखनऊ।
15–निदेशक, इंटीग्रल मेडिकल कालेज, लखनऊ।
16–अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ को अनुपालनार्थ।
17–डॉ0 मिलिंद, स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी, लखनऊ।